50/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण/वादीगण उपस्थित। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री मलिक तालूत ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री मलिक तालूत ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रकरण में वरवक्त लगवाये जाने आवाज प्रार्थी अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं मान0 न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया, जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रकरण के सम्बन्ध में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है एवं मान0 मण्डल द्वारा टिप्पणी मंगवाये जाने के आदेश पारित किये हुए हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वाद की सुनवाई गुणावगुण पर करने के आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वकील प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि आदेश 3 नियम 4(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रावधानित है कि अधिवक्ता की अधिकारिता तब तक निरन्तर बनी रहती है जब तक कि वाद की समस्त कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। फलस्वरूप वाद में समस्त कार्यवाहियां समाप्त होकर अभिभाषक की अधिकारिता भी समाप्त हो गई। विचाराधीन बाजदायरी प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अभिभाषक ने स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थना पत्र अभिभाषक के हस्ताक्षर से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वादीगण द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। अपने उक्त कथनों के समर्थन में उन्होनें हमारा ध्यान **WLN 2014(3) पेज 97** पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो की ओर आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाबुल जवाब में कथन किया कि कोई भी वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होता है तो प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु बाजदायरी प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र वादी के अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अपने उक्त कथन कि समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान **AIR 2015 पेज 223** पर माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई अवैधानिकता नहीं है। हम वकील प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत हैं। अतः प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बाजदायरी प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद की पत्रावली के साथ नत्थी किया जावे।

आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर